

26.02.2020

पत्रावली पैश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । चूंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित इसी के मूल वाद संख्या 66/2016 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट को आज सुनवाई के दौरान, खारिज कर निर्णित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नहीं रह जाती है ।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी बाबत स्थगन में आगे की कार्यवाही को इस स्तर पर स्थगित कर, इसी के मूल वाद संख्या 66/2016 के साथ नत्थी किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं ।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज.